

संख्या फिन-ए-सी (6)1/2023
हिमाचल प्रदेश सरकार
वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक

प्रधान सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

दिनांक शिमला-171002,

०९ अगस्त, 2023.

विषय:

अनुपूरक अनुदान मांगे (Supplementary Demands) वर्ष 2023-24 हेतु प्रथम, द्वितीय एवं
अंतिम आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका (Excess & Surrender Statement) को समय
पर भेजने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन०-ए०-सी०(3)-1/2020,
दिनांक 28.01.2021, फिन०-ए०-सी०(3)-1/2021-II, 27.08.2021 तथा फिन०-ए०-सी०(3)-1/2021-III दिनांक
27.04.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार प्रथम आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिकाएं (Excess & Surrender
Statement) 31 अक्टूबर तक वित्त विभाग को उपलब्ध करवाई जानी अपेक्षित हैं, जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष के पहले
6 महीनों (30 सितम्बर तक) के वास्तविक व्यय व बकाया महीनों के सम्भावित व्यय के आंकड़े दर्शाएं जाने चाहिए।
इसी प्रकार दूसरी आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका जिसमें चालू वर्ष के 8 महीनों (30 नवम्बर तक) के वास्तविक व्यय
व शेष चार महीनों के लिए सम्भावित व्यय के आंकड़े भी वित्त विभाग में 31 दिसम्बर तक भेजे जाने अनिवार्य हैं क्योंकि
दूसरी आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका के आधार पर ही अनुपूरक मांगे तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय
एवं अंतिम विवरणिका 15 मार्च तक भेजी जानी अनिवार्य है। सभी विवरणिकाओं में दर्शाएं जाने वाले आंकड़े सम्बन्धित
विभाग द्वारा अपने सम्भावित व्यय तथा बचतों का सही आकलन करके ही वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे ताकि वास्तविक
खर्चों तथा बचतों में बहुत अधिक अन्तर न पड़े।

पिछले कुछ वर्षों में यह देखने मे आ रहा है कि अधिकतर विभागों द्वारा अपनी सम्भावित बचतों का
सही आकलन किए बिना कात्पनिक आंकड़ों के आधार पर आधिक्य एवं अभर्पण विवरण में बकाया मास के व्यय हेतु
अनुपूरक अनुदान मांगों के अन्तर्गत अपर्याप्त अथवा अनावश्यक प्रावधान करवा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह
भी पाया गया है कि बचतों तथा आधिक्य के उचित एवं तार्किक कारण नहीं दिए जाते हैं और महालेखाकार कार्यालय
द्वारा इन कारणों पर आपति उठाई जा रही है।

कृपया अपने अधीन सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय के स्पष्ट निर्देश जारी करने के कृपा
करें कि उपर्युक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका तैयार करने से पूर्व अपने खर्चों
व सम्भावित बचतों का सही तरह से आकलन करें ताकि मांग वास्तविकता पर आधारित हों और उसमें आधिक्य तथा
बचतों के उचित एवं तार्किक कारणों का संक्षिप्त स्पष्ट तथा पूर्ण उल्लेख किया गया हो। यह भी अनुरोध किया जाता है
कि जिन भी लेखा शीर्षों/मानकों में बचतें दर्शाई जा रही हैं, उनमे विभागध्यक्ष DDOs से पहले ही Surrender लेना
सुनिश्चित करें क्योंकि वित्त विभाग को इन बचतों को eBudget Software में लेना होता है।

आपसे अनुरोध है कि इन निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें तथा वर्तमान वित्त वर्ष की प्रथम
आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका दिनांक 31 अक्टूबर, 2023, द्वितीय आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका 31 दिसम्बर,
2023 तक, तथा अंतिम आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका 15 मार्च, 2024 तक विशेष सन्देशवाहक के माध्यम से
प्रपत्र-'क' के अनुसार वित्त विभाग को भिजवाने की कृपा करें। इसके अलावा अंतिम बचत/अभर्पण विवरणिका में
द्वितीय आधिक्य एवं अभर्पण विवरणिका में दी गई बचतों को शामिल न किया जाए।

भवदीय,



 (प्रदीप कुमार)
 उप सचिव (वित्त)
 हिमाचल प्रदेश सरकार।
 (...2)

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि । दिनांक शिमला-171002,

09 अगस्त, 2023.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
- 2 आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग तथा निदेशक (अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से अक्षमों का सशक्तिकरण), हिमाचल प्रदेश, शिमला। उनसे अनुरोध है कि अनुपूरक अनुदान मांगे वर्ष 2023-24 मांग संख्या-31 जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम व मांग संख्या-32 अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव वित्त विभाग को संकलित कर भेजने की कृपा करें।
- 3 समस्त सम्बन्धित सहायक वित्त-ए और वित्त-जी अनुभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 को उपरोक्त के अनुसार अगली कार्यवाही हेतु। यदि निर्धारित समय तक सम्बन्धित विभागों उक्त विवरण प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अपने स्तर पर इसे सम्बन्धित विभागों से मांगवाना सुनिश्चित करेंगे।
- 4 महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003.


(प्रदीप कुमार)
उप सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

